Revision of agricultural education

1332. SHRIMATI RATAN KUMARI:

SHRI NAND KISHORE BHATT-

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state whether Government propose to revise agricultural education system to enable agriculture graduates to take up professional farming; if so, what are the details thereof?

THE MINISTER! OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION (SHRI YOGENDRA MAKWANA): The agricultural education system in the country was revised after careful consideration of the agricultural education systems in the world and is based on the recommendations of the Eudcation Commission, 1948-49 and 1964-66 as well as various other expert bodies. The present system is based on the Land Grant Pattern of Education of USA. The first agricultural university was established on these lines at Pantnagar U.P. in 1960. Following' this, 23 agricultural universities have been established covering 17 major States in the country. . The curricula of agricultural programmes have been reviewed from time to time to make it meaningful and practical oriented. A review of this curricula was recently made by a Deans' Committee which submitted its report in 1982. The recommendations of this committee have been circulated to all the agricultural universities for adoption. The salient features of the curriculum recommended for the B.Sc. (Agri.) programme are the inclusion of a strong core programme in agriculture and a number of electives which could enable the graduates to take up professional farming/self employment.

बाल्मीकि समाज द्वारा "चूहड़ा" शब्द के प्रयोग पर आपत्ति

1333. **श्री अच्छे लाल बाल्मीक** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों की सूची में "चूहड़ा बाल्मीकी" शब्द प्रयोग किए गए हैं ; यदि हां, तो "चूहड़ा" शब्द का प्रयोग किस आधार पर किया जा रहा है ;

(ख) क्या इस संबंध में बाल्मीकी समाज से कोई आपत्ति प्राप्त हुई है ;

(ग) यदि हां, तो "बाल्मीकी" शब्द से पूर्व प्रयोग किए जा रहे शब्द "चूहड़ा" को न हटाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार बाल्मीकी समाज द्वारा आपत्ति किए जाने के आधार पर "चूहड़ा" शब्द हटाने का विचार रखती है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) समय-समय पर संशोधित संविधान अनुसूचित जाति (संघ शासित क्षेत्र) आदेश 1951 के अनुसार चोहड़ा (मेहतर) और चूहड़ा (बाल्मीकी) को संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है । संविधान के अनुच्छेद 341 के अन्तर्गत की गई व्यवस्था की दृष्टि से संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में इन समुदायों को 1951 में दिल्ली संघ शासित क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जातियों की सूचियों को अंतिम रूप देते समय दिल्ली प्रशासन के परामर्श से अनुसूचित जातियों की सूचियों में शामिल किया गया है ।

(ख) दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की सूची में से चोहड़ा (मेहतर) और चूहड़ा (बाल्मीकी) समुदायों को हटाने के बारे में बाल्मीकी समुदाय सहित भिन्न-भिन्न वर्गों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।